

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)/एपीओ/ अलेसे-III/ 6489

दिनांक :- 05-01-2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए वेतन आहरण की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र.सं	लिंक नं.	नाम/पदनाम	अवधि	विभाग/कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5
1	12776	श्री दीपक मेवाड़ा, कनि. लेखाकार	दिनांक 18.08.2020 (01 दिवस)	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।

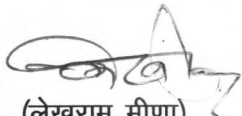

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/एपीओ/ अलेसे-III/ 6489

दिनांक :- 05-01-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करावें।
3. संबंधित विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण-पत्र एवं सेवा पुस्तिका उनके सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित विभाग/कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
4. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार।
5. निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हुते।
7. रक्षित निजी पत्रावली।


(लेखराम मीणा)
उप निदेशक (कार्मिक-III)